भारतीय स्टेट बैंक

केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई
फोन: 022-2282 0427, ईमेल: crpd@sbi.co.in

STATE BANK OF INDIA
भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक को ''ग्लोबल फाइनेंस'' द्वारा वर्ष 2024 के लिए ''भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक'' के रूप में मान्यता दी गई.

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती

(विज्ञापन संख्या: CRPD/PO/2024-25/22)

आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण एवं शुल्क का भुगतानः 27.12.2024 से 16.01.2025 तक

भारतीय स्टेट बैंक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है. चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट https://bank.sbi/web/careers/current-openings पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें. पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक संभावित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे इस अधिसूचना की नीचे दी गई विषय-सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ने और समझने के बाद ही आवेदन करें.

महत्वपूर्ण सूचनाएँः-

1. भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में शामिल होने के इच्छुक संभावित उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे पात्रता मानदंड, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, आवेदन शुल्क का भुगतान, कॉल लेटर जारी करना, परीक्षा/साक्षात्कार की प्रक्रिया और पैटर्न आदि के बारे में विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि वे पात्रता की तिथि पर पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं. पंजीकरण की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि को या उससे पहले केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा किया जाता है. **आवेदन और अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी इस कार्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है.**
2. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे भावी सूचना प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल कनेक्शन सक्रिय रखें. परिणाम घोषित होने तक वैध ईमेल आईडी/मोबाइल फोन नंबर सक्रिय रखा जाना चाहिए. इससे उसे ईमेल या मोबाइल पर एसएमएस द्वारा कॉल लेटर/साक्षात्कार सूचना आदि प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
3. आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, उम्मीदवारों को यह जांचना होगा कि उन्होंने आवेदन पत्र के प्रत्येक संबंधित क्षेत्र में सही विवरण भरा है. ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण अवधि के लिए विंडो की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस संबंध में डाक, ईमेल, हस्ती सुपुर्दगी आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरासरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा.
4. एक बार आवेदन अंतिम रूप से प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी विवरण (श्रेणी सहित) में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा. इस संबंध में किसी भी पत्राचार/फोन/ईमेल पर विचार नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन सावधानीपूर्वक भरें और आवेदन में सही अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करें.
5. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अन्य विवरण एवं अद्यतन सूचना हेतु बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi/web/careers/current-openings** को नियमित रूप से देखें (शॉर्टलिस्ट किए गए/चयनित उम्मीदवारों की सूची सहित). **विज्ञापन में होने वाले किसी परिवर्तन/अद्यतन सूचना को अलग से विज्ञापित/सूचित नहीं किया जाएगा. सभी परिवर्तन/अपडेट/शुद्धिपत्र केवल बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi/web/careers/current-openings पर ही होस्ट किए जाएंगे.**
6. कॉल लेटर/सूचना, जहां भी आवश्यक हो, अपलोड की जाएगी या केवल ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी **(कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी).**
7. उम्मीदवारों को उन्हीं के हित के लिए यह सूचना दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने की अंतिम तारीख से पहले समय रहते ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दें और वे अंतिम तारीख का इंतजार न करते रहें क्योंकि बाद में हो सकता है कि वेबसाइट को लॉग ऑन करने में डिसकनेक्शन/अक्षमता/तकनीकी खराबी की स्थिति बन जाए इन्टरनेट पर भारी लोड या फिर वेबसाइट जाम होने के कारण ऐसा हो जाए. यदि पूर्वोक्त कारणों से या एसबीआई के नियंत्रण से बाहर के किसी भी कारण से यदि उम्मीदवार अपना आवेदन समय रहते नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एसबीआई किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा.
8. **पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पात्रता की तिथि पर परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. भर्ती के सभी चरणों में उनका प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने की शर्त पर पूरी तरह से अनंतिम होगा. उम्मीदवार को केवल कॉल लेटर/ई-प्रवेश कार्ड जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि पद के लिए उसकी उम्मीदवारी अंततः स्वीकार कर ली गई है. उम्मीदवार को साक्षात्कार और/या बाद के चरणों के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद ही बैंक मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है.**
9. **उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे आवेदन जमा करने के बाद अपने सिस्टम से जनरेट हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें.**
10. ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से प्रस्तुतीकरण के बाद उम्मीदवारों को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
11. योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है जो तीन चरणों अर्थात् **चरण - I, चरण - II और चरण - III** में आयोजित की जाएगी. चरण - I (अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा) के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को चरण- II (अर्थात् मुख्य परीक्षा) के लिए बैठना होगा. चरण - II के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बाद में चरण - III (अर्थात् साइकोमेट्रिक टेस्ट, समूह अभ्यास और साक्षात्कार) के लिए बुलाया जाएगा.
12. बैंक किसी भी चरण में (अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा/साइकोमेट्रिक टेस्ट/समूह अभ्यास/साक्षात्कार/चिकित्सा/कार्यग्रहण के दौरान) दस्तावेज़ सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
13. चयनित उम्मीदवारों को बैंक में नियुक्ति ऑफर की जा सकती है, बशर्ते कि वे अन्य औपचारिकताएं जैसे कि क्रेडेंशियल्स, प्रमाणपत्रों का सत्यापन, संदर्भों से संतोषजनक रिपोर्ट, चिकित्सा जाँच और पूर्ववृत्त का सत्यापन आदि पूरी करते हों.
14. आयु में छूट, शुल्क में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को उस समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी का वैध अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जब दस्तावेज़ सत्यापन के समय ऐसा प्रमाण पत्र मांगा जाता है. अन्यथा, उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकृत कर दी जाएगी.
15. उम्मीदवार जिनके खिलाफ चरित्र और पूर्ववृत्त (कैरेक्टर एंड एंटीसिडण्टस), नैतिकता आदि के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट हैं, वह भी इस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं. यदि शॉर्टलिस्ट किए गए/चयनित उम्मीदवारों के विरुद्ध ऐसे कोई भी प्रतिकूल आदेश/रिपोर्ट उनके चयन के बाद बैंक को मिलती/प्राप्त होती है, तो उनकी उम्मीदवारी/सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी.
16. साक्षात्कार के समय, उम्मीदवार को उसके विरुध्द लंबित आपराधिक मामलों (यदि कोई हों) का विवरण देना आवश्यक होगा. बैंक अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस रिकॉर्ड के सत्यापन सहित स्वतंत्र सत्यापन भी कर सकता है. बैंक ऐसे प्रकटनों और/या सत्यापन के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने को अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है.
17. गलत जानकारी प्रस्तुत करने/तथ्यों को छिपाने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और कानूनी/आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है. जो उम्मीदवार धोखाधड़ी/छद्मव्यक्तिता का प्रयास करेंगे, उन्हें बैंक द्वारा आयोजित भविष्य की भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा.
18. **उम्मीदवार को एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए.** एकाधिक आवेदनों के मामले में, **केवल अंतिम प्रस्तुत वैध** (पूर्ण) आवेदन को ही रखा जाएगा और अन्य पंजीकरणों के लिए प्रदत्त आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा. इसके अलावा, साक्षात्कार/कार्यग्रहण के समय एक उम्मीदवार द्वारा एकाधिक उपस्थिति/हाजिरी के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर अस्वीकार/रद्द कर दिया जाएगा.
19. बैंक के पास बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया को किसी भी चरण/समय पर पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द करने/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है यदि ऐसा आवश्यक होता है और बैंक आवेदक को शुल्क वापस करने या कोई मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
20. बैंक बिना कोई कारण बताए अधिसूचित रिक्तियों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
21. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले बाहरी उम्मीदवारों को उनके ठहरने के स्थान/तैनाती से साक्षात्कार की जगह तक भारत में सबसे छोटे मार्ग से रेलवे के एसी-III किराये या खर्च किये गये वास्तविक व्यय (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति की जायेगी. स्थानीय परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी. उम्मीदवार के पद के लिए अयोग्य पाये जाने पर उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी प्रकार के किराये की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी.
22. चयनित उम्मीदवार, नियुक्ति के बाद, परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद के लिए समय-समय पर लागू/संशोधित/आशोधित मौजूदा बैंक की भर्ती नीति के अनुसार परिवीक्षा पर होंगे.
23. इस विज्ञापन तथा/अथवा इसके प्रत्युत्तर में आने वाले आवेदन के कारण किसी दावे या विवाद होने की स्थिति में हर कानूनी कार्यवाही के लिए किसी भी दावे/विवाद पर वाद सिर्फ मुंबई में ही शुरु किया जाएगा तथा मुंबई में ही स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/फोरम को ही ऐसे वाद/विवाद निपटाने का एकमात्र तथा विशेष क्षेत्राधिकार रहेगा.
24. पात्रता मानदंड से संबंधित मूल दस्तावेज, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र और जन्म तिथि का प्रमाण साक्षात्कार की तारीख पर सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए. यदि साक्षात्कार की तिथि पर सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो उम्मीदवार को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
25. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक द्वारा नियुक्त/अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ घोषित किए जाने के अध्यधीन होगी.
26. परीक्षा के संचालन में कुछ समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है, जिससे टेस्ट डिलीवरी/परिणाम का निर्णाण प्रभावित हो सकता है. ऐसे मामलों में, समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें आवश्यक समझे जाने पर दूसरी परीक्षा आयोजित करना/किसी अन्य केंद्र और तारीख पर परीक्षा आयोजित करना शामिल हो सकता है.
27. **प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉल लेटर परीक्षा केंद्र पर एकत्र नहीं किया जाएगा. हालाँकि, इसे परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों द्वारा विधिवत जाँच/प्रमाणित/स्टांपित किया जाएगा. उम्मीदवार को कॉल लेटर (आईडी प्रूफ की प्रमाणित/मुहर लगी प्रति के साथ) सुरक्षित रूप से अपने पास रखना होगा. जिन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, उन्हें ''एक्वेंट योरसेल्फ पुस्तिका'' ("acquaint yourself booklet") और ''कॉल लेटर'' प्रदान की गई जानकारी के अनुसार विधिवत प्रमाणित मूल प्रारंभिक परीक्षा कॉल लेटर (आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति के साथ) और साथ ही मुख्य परीक्षा कॉल लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे.**
28. जो उम्मीदवार सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत हैं, उनको सूचना दी जाती है कि वे अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' लेकर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें जिसके बिना उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और यात्रा किराया, यदि कोई हो, तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा. **चयन होने पर, नियुक्ति स्वीकारने के समय, उम्मीदवार को अपने पूर्व नियोक्ता से उचित कार्य-मुक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.**
29. बैंक परीक्षा/साक्षात्कार केंद्र तय करेगा, जहां पात्र पाए जाने पर उम्मीदवारों को परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा.
30. यदि अंतिम मेरिट लिस्ट (कट-ऑफ अंक पर समान अंक) में एक से अधिक उम्मीदवारों के कट-ऑफ अंकों के रूप में एकसमान अंक आते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को मेरिट में उनकी आयु के अनुसार अवरोही क्रम में स्थान दिया जाएगा.

31. **स्थानांतरण नीति:** बैंक भर्ती किए गए परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सेवाओं की अत्यावश्यकता के आधार पर भारत में भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी मंडल/कार्यालय में आवंटित करने/स्थानांतरित करने या किसी सहयोगी/सहायक संस्था या किसी अन्य संगठन में प्रतिनियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. किसी विशिष्ट स्थान/कार्यालय में आबंटन/तैनाती/स्थानांतरण के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

32. **सिबिल (CIBIL):** जिन उम्मीदवारों ने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि सहित बैंकों/एनबीएफसी/वित्तीय संस्थाओं के साथ किसी भी उधार व्यवस्था के तहत चुकौती में चूक की है और बैंक द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख तक उनके बकाया को नियमित/चुकाया नहीं है, वे पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे. हालांकि, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नियुक्ति प्रस्ताव-पत्र जारी होने की तारीख को या उससे पहले इस तरह के बकाया को नियमित कर लिया है/चुका दिया है, लेकिन जिनकी **सिबिल (CIBIL)** स्थिति को **शामिल होने की तारीख को या उससे पहले** अपडेट नहीं किया गया है, उन्हें या तो सिबिल की स्थिति को अपडेट कराना होगा या ऋणदाता से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सिबिल में प्रतिकूल रूप से दर्शाए गए खातों के संबंध में कोई बकाया नहीं है, ऐसा न करने पर प्रस्ताव पत्र वापस ले लिया जाएगा/रद्द कर दिया जाएगा. इस प्रकार, ऋण/क्रेडिट कार्ड बकाए के भुगतान में चूक के रिकॉर्ड और/या जिनके नाम पर सिबिल या अन्य बाहरी एजेंसियों की प्रतिकूल रिपोर्ट उपलब्ध है, वाले उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं. उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पहले अपने सिबिल स्कोर/स्थिति की जांच/पुष्टि कर लें.

33. क्रीमी लेयर में आने वाले ओबीसी उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं. उन्हें अपनी श्रेणी अनारक्षित (यूआर) या यूआर (एलडी/वीआई/एचआई/डीएंडई) जैसा लागू हो के रूप में इंगित करनी चाहिए. इसका अर्थ यह है कि एक बार जब कोई उम्मीदवार ओबीसी श्रेणी चुन लेता है, तो अनारक्षित या अन्य आरक्षित श्रेणी में बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

34. यदि उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में श्रेणी को अनारक्षित श्रेणी के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन बाद में श्रेणी को आरक्षित श्रेणी में बदलने के लिए लिखा जाता है, तो ऐसे अनुरोध पर बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा.

35. एक बार जब कोई उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी चुन लेता है, तो अनारक्षित या अन्य आरक्षित श्रेणी में बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

36. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) की किसी भी उप-श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) की उप-श्रेणी को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

37. **ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को 01 अप्रैल, 2024 को / उसके बाद जारी ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. उम्मीदवार के पास साक्षात्कार की तिथि पर/या उससे पहले आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए. उक्त तिथि के बाद 'ओबीसी प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के समय दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में 'ओबीसी प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उम्मीदवार को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद के लिए बैंक में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा.**

38. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सकल वार्षिक आय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जारी और वर्ष 2024-25 के लिए वैध आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लिया जा सकता है. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार के पास साक्षात्कार के समय दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए. **यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के समय दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर निर्धारित प्रारूप में 'आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उम्मीदवार को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद के लिए बैंक में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा.**

39. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. **यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के समय दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है,** तो उम्मीदवार को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और **उसे परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद के लिए बैंक में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा.**

40. दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016) की धारा 34, **बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)** के तहत आरक्षण का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. ऐसा प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए सत्यापन/पुनः सत्यापन के अधीन होगा. प्रमाणपत्र पर **आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तारीख या उससे पहले की तारीख होनी चाहिए.** यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के समय दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उम्मीदवार को **साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद के लिए बैंक में नियुक्ति के लिए** विचार नहीं किया जाएगा.

41. **अंतिम चयन पद के लिए पात्रता और ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के सत्यापन के अधीन होगा.**

रिक्तियां: निम्नांकित रिक्तियां अनंतिम हैं और बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं.

	श्रेणीवार रिक्तियां						पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियाँ (समस्तरीय रिक्तियाँ)			
श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.*	ईडब्ल्यूएस^	यूआर	कुल	वी.आई.#	एच.आई.#	एल.डी.#	डी और ई#@
नियमित रिक्तियां	87	43	158	58	240	586	6	6	6	6
बकाया रिक्तियां	--	14	--	--	--	14	4	20	--	20
कुल रिक्तियां	87	57	158	58	240	600	10	26	6	26

संक्षेपाक्षर: अ.जा.- अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.- अनुसूचित जनजाति; अ.पि.व.- अन्य पिछड़ा वर्ग; ईडब्ल्यूएस- आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग; यूआर - अनारक्षित श्रेणी; पीडब्ल्यूबीडी - बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति; वीआई- दृष्टि बाधित; एचआई - श्रवण बाधित; एलडी- लोकोमोटर दिव्यांगता.

* भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Estt.(SCT) दिनांक 08.09.1993 द्वारा शासित होता है. **ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल उन्हीं ओबीसी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं जो 'गैर-क्रीमी लेयर' ओबीसी उम्मीदवारों से संबंधित हैं. 'क्रीमी लेयर' वाले ओबीसी उम्मीदवार अपनी श्रेणी को 'यूआर' श्रेणी के रूप में दर्शाएं.** ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर 01.04.2024 से साक्षात्कार की तारीख की अवधि के दौरान जारी 'गैर-क्रीमी लेयर' खंड से युक्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए. **उम्मीदवार के पास साक्षात्कार की तारीख को या उससे पहले आरक्षण का लाभ उठाने के अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में आवश्यक ओबीसी प्रमाणपत्र होना चाहिए.**

^ भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन, भारत सरकार के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं.36039/1/2019-ईएसटीटी (आरईएस) द्वारा शासित होता है.

अस्वीकरण: *''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की रिक्तियां अंतरिम हैं तथा भारत सरकार के आगे के निदेशों और किसी भी कानून के परिणाम के अधीन हैं. नियुक्ति अनंतिम है और उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापित किए जाने वाले आय एवं आस्ति प्रमाणपत्र के अधीन है.''*

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सकल वार्षिक आय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी और वर्ष 2024-25 के लिए वैध आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उठाया जा सकता है. ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' के सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है. इसलिए **वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी किया गया 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' साक्षात्कार के समय दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर या उससे पहले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए.**

बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां समस्तरीय रूप से आरक्षित हैं.

@ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 (i) के खंड 'डी' और 'ई' के तहत पद के लिए उपयुक्त पीडब्ल्यूडी श्रेणियां हैं: (i) ''मानसिक रुग्णता'' (एम.आई); (ii) ''ऑटिष्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर'' (अत्यल्प) (ए.एस.डी-एम); (iii) बहु दिव्यांगता (एल.डी., वी.आई., एच.आई., एस.एल.डी., एम.आई. एवं ए.एस.डी-एम);

भर्ती प्रक्रिया का संभावित कार्यक्रम इस प्रकार है:

गतिविधि	संभावित दिनांक
उम्मीदवार द्वारा आवश्यक सम्पादन/संशोधन सहित आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण	**27.12.2024 से 16.01.2025**
आवेदन शुल्क का भुगतान	**27.12.2024 से 16.01.2025**
प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना	**फरवरी 2025 के तीसरे या चौथे सप्ताह के बाद**
चरण- I: ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा	**8 और 15 मार्च 2025**
प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा	**अप्रैल 2025**
मुख्य परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना	**अप्रैल 2025 के द्वितीय सप्ताह के बाद से**
चरण- II: ऑनलाइन मुख्य परीक्षा	**अप्रैल/मई 2025**
मुख्य परीक्षा के परिणाम की घोषणा	**मई/जून 2025**
चरण- III के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना	**मई/जून 2025**
चरण- III: साइकोमेट्रिक टेस्ट	**मई/जून 2025**
साक्षात्कार और समूह चर्चा	**मई/जून 2025**
अंतिम परिणाम की घोषणा	**मई/जून 2025**
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण	
परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना	**जनवरी/फरवरी 2025**
परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन	**फरवरी 2025**

1. पात्रता मानदण्डः

क. आयु सीमाः (01.04.2024 तक):

दिनांक 01.04.2024 को उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात उम्मीदवार का जन्म दिनांक 02.04.1994 से पहले और 01.04.2003 के पश्चात नहीं होना चाहिए (दोनों दिन समाविष्ट).

ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार होगीः

क्र.	श्रेणी		आयु में छूट (वर्षों में)
क)	अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) (नॉन क्रीमी लेयर)		3 वर्ष
ख)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अजा/अजजा)		5 वर्ष
ग)	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	– पीडब्ल्यूबीडी (यूआर/ईडब्ल्यूएस)	10 वर्ष
		– पीडब्ल्यूबीडी (अपिव)	13 वर्ष
		– पीडब्ल्यूबीडी (अजा/अजजा)	15 वर्ष
घ)	आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों (ईसीओ)/अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों (एसएससीओ) सहित भूतपूर्व सैनिक बशर्ते आवेदनकर्ता ने सैन्य सेवा में लगातार कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो और जो निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा होने पर सेवामुक्त किए गए हैं (इनमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा होने वाला हैं) किंतु उनमें वे भूतपूर्व सैनिक शामिल नहीं है जिन्हें कदाचार या अकुशलता या शारीरिक अक्षमता के कारण सेवामुक्त किया गया है अथवा जो सैन्य सेवा से संबंधित अपंगता या अशक्तता के कारण से सेवामुक्त कर दिए गए हों.		5 वर्ष

टिप्पणीः आयु सीमा संबंधी छूट उपर्युक्त मदों या विभिन्न मदों के अंतर्गत दर्शायी गई अन्य आयु सीमा की छूटों को मिलाकर नहीं दी जाएगी. आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किए जाने पर समूह अभ्यास/साक्षात्कार के समय आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी. **ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के पश्चात, किसी उम्मीदवार की श्रेणी में कोई परिवर्तन संभव नहीं है.** इस संबंध में किसी पत्र–व्यवहार/ई–मेल/फोन पर विचार नहीं किया जाएगा.

ख. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता: (31.12.2024 तक):

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी वर्ग में स्नातक या केन्द्र सरकार से मान्यताप्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता. जो उम्मीदवार अपनी स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर में हैं, वे भी अनंतिम रूप से इस शर्त के अध्यधीन आवेदन कर सकते हैं कि यदि उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें दिनांक 31.12.2024 को या उससे पूर्व स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. समन्वित दोहरी डिग्री (आईडीडी) प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि आईडीडी की पासिंग (उत्तीर्ण) तिथि 31.12.2024 को या उससे पूर्व की है. चिकित्सा, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जैसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र होंगे.

टिप्पणी:

i. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी अनंतिम प्रमाणपत्र या अंक–तालिका पर दी हुई तिथि होगी. यदि किसी परीक्षा विशेष के परिणाम विश्वविद्यालय/संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं, तो विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसमें परिणाम को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की तिथि का उल्लेख होगा, के आधार पर उत्तीर्ण तिथि स्वीकार की जाएगी.

ii. ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों को स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत निकटतम दो दशमलव तक दर्शाने होंगे. यदि सीजीपीए/ओजीपीए दिए गए हों, तो उन्हें प्रतिशत में रुपांतरित करके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाना होगा. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर उम्मीदवार को उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ श्रेणी को प्रतिशत में रूपांतरित करने संबंधी विश्वविद्यालय के नियम और उन नियमों के अनुसार उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए अंकों के प्रतिशत लिखे होने चाहिए.

iii. प्रतिशत की गणनाः सभी सेमेस्टर/वर्षों में सभी विषयों में प्राप्त किए हुए अंकों को ऑनर्स/वैकल्पिक/ अतिरिक्त वैकल्पिक विषय यदि कोई हो, के बावजूद कुल अधिकतम अंकों से विभाजित करके प्रतिशत अंक निकाले जाएंगे. यह नियम उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा, जहाँ वर्ग/श्रेणी केवल ऑनर्स के अंकों पर आधारित हो. इस तरह निकाले गए प्रतिशत में अपूर्णांक को नज़रअंदाज़ किया जाएगा, जैसे 59.99% को 60% से कम समझा जाएगा और 54.99% को 55% से कम समझा जाएगा.

2. शारीरिक रूप से दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) व्यक्तियों के लिए आरक्षणः

दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार निर्धारित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 4 प्रतिशत का समस्तरीय आरक्षण दिया गया है. यह पद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की अनुसूची में परिभाषित और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दिव्यांगता की निम्नलिखित श्रेणियों वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त निर्धारित किया गया है:–

उपयुक्त श्रेणी		कार्यात्मक आवश्यकता
क)	दृष्टि बाधित **(बी)**, कम दृष्टि **(एलवी)**	एस – बैठना डब्ल्यू – चलना एमएफ – उंगलियाँ से परिचालन आरडब्ल्यू– पढ़ना व लिखना एसई– देखना सी– संप्रेषण
ख)	सुनने में कठिनाई (बहरापन) **(एचएच)**	
ग)	एक हाथ प्रभावित **(ओए)**, दोनों हाथ प्रभावित **(बीए)**, एक पैर प्रभावित **(ओएल)**, दोनों पैर प्रभावित **(बीएल)**, एक हाथ और एक पैर प्रभावित **(ओएएल)**, सेरेब्रल पाल्सी **(सीपी)**, कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति **(एलसी)**, बौनापन **(डीडब्ल्यू)**, एसिड अटैक पीड़ित व्यक्ति **(एएवी)**	
घ)	ऑटिसम स्पेक्ट्रम डिसार्डर– हल्का **(एएसडी–एम)**, मानसिक बीमारी **(एमआई)**	
ड.)	उपरोक्त (क) से (घ) तक शामिल बहु दिव्यांगताएं **(एमडी)**	

क. दृष्टि बाधित (वीआई)ः केवल वे ही दृष्टि बाधित (वीआई) व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र है, जो बेहतर स्थिति में आने से पहले निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से ग्रस्त रहे हैंः

अ. दृष्टिहीनताः

i. पूर्णतः दृष्टिहीन होना या

ii. दृष्टि सुधार के बाद बेहतर आँख में 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) से अधिक वास्तविक दृष्टि न हो अथवा

iii. दृष्टि के क्षेत्र की सीमा विरुद्ध दिशा में 10 डिग्री के कोण बनाती हो या उससे भी कम. अथवा

ब. कम दृष्टिः

i. दृष्टि सुधार के बाद दृष्टि बेहतर आँख में तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) से कम न हो

ii. दृष्टि के क्षेत्र की सीमा विरुद्ध दिशा में 40 से 10 डिग्री के कम के कोण बनाती हो.

ख. श्रवण बाधित (एचआई)ः केवल वे ही श्रवण बाधित (एचआई) व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र है, जो बेहतर स्थिति में आने से पहले निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से ग्रस्त रहे हैंः

ऊँचा सुननाः वे व्यक्ति जिनके दोनों कानों की श्रवण क्षमता संबंधी स्पीच फ्रीक्वेंसी में 60 डीबी से 70 डीबी कम हो गई हो.

ग. चलने की अशक्तता (एलडी)ः केवल वे व्यक्ति लोकोमोटर दिव्यांगता (एलडी) श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र हैं जो प्रमस्तिष्क घात (सीपी), कुष्ठ रोग मुक्त (एलसी), बौनापन (डीडब्ल्यू), तेजाब हमले से पीड़ित (एएवी), के परिणामस्वरूप स्वयं के संचलन और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थ हैं.

i. 'कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके' (एलसी) से आशय उस व्यक्ति से है, जिसका कुष्ठ ठीक हो गया है, परंतु वह निम्नलिखित प्रभाव से जूझ रहा हैः

➢ हाथों या पैरों में संवेदना की कमी के साथ–साथ आंखों और पलकों में संवेदना की कमी व पक्षाघात होना, परंतु कोई स्पष्ट विकृति न होना.

➢ स्पष्ट विकृति और पक्षाघात होने पर भी जिसके हाथ और पैर सामान्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम हों.

➢ चरम शारीरिक विकृति के साथ–साथ उसका कम उम्र का होना, जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से रोकता हो, वहाँ, 'कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है' भाव को उसी अनुसार समझा जाएगा.

ii. 'सेरेब्रल पाल्सी' (सीपी) का आशय उस गैर–विकसनशील न्यूरोजीकल स्थिति से है जो शरीर और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करती है. इससे मस्तिष्क का कोई एक या अधिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है. यह प्रायः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद होता है.

iii. 'बौनापन' (डीडब्ल्यू) से आशय ऐसी चिकित्सकीय या जेनेटिक स्थिति से है, जिससे किसी व्यक्ति की लम्बाई 4 फुट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम रह जाती है.

iv. 'एसिड अटैक पीड़ित' (एएवी) से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो एसिड या इसी तरह के क्षयकारी तत्व फेंकने से कुरूप हो गया हो.

घ. 'डी एवं ई': केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, वे इस श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं:

i. ''मानसिक बीमारी'' (एमआई) से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है.

ii. ''ऑटिजम स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर (माइल्ड)'' – एएसडी (एम) से एक ऐसी न्यूरो–विकास संबंधित स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्टत: जीवन के पहले तीन वर्षों में उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता प्रदान करती है और आम तौर पर यह असामान्य या एक जैसे कार्य या व्यवहार से सहबद्ध होता है.

iii. ''बहु दिव्यांगता (एमडी)'' का अर्थ उपरोक्त (क) से (घ) के बीच बहु विकलांगताएं हैं.

नोटः

(i) **निर्धारित अशक्तता** वाले व्यक्तियों को ही आरक्षण का पात्र माना जाएगा. **'निर्धारित अशक्तता वाले व्यक्ति'** से आशय उस व्यक्ति से है जो **विनिर्दिष्ट अशक्तता** का कम से कम **40 प्रतिशत अशक्त** हो, उन मामलों में जहाँ विनिर्दिष्ट अशक्तता को मापन श्रेणी में नहीं रखा गया है. प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी के प्रमाणन के अनुसार इसके अंतर्गत वह अशक्त व्यक्ति भी आता है जिसकी अशक्तता को मापन श्रेणी में रखा गया है.

(ii) आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति को भारत सरकार के अंतर्गत निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अशक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. बैंक के सक्षम अधिकारी के निर्णयनुसार इस प्रमाणपत्र का सत्यापन/पुनर्सत्यापन किया जा सकेगा. **प्रमाणपत्र आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि या उससे पहले का होना चाहिए.**

(iii) पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को संबंधित उप–श्रेणी में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति से भरा जाएगा. यदि उस उप–श्रेणी से कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे बैकलॉग को विकलांगता की चार उप–श्रेणियों अर्थात् वीआई, एचआई, एलडी और डी एंड ई के बीच, प्रत्येक श्रेणी के लिए एक प्रतिशत, अदला–बदली करके भरा जाएगा.

3. श्रेणी: ऑनलाइन आवेदन करते समय श्रेणी का नाम एवं श्रेणी कोड लिखने संबंधी निर्देशः

कृपया ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण करने के बाद श्रेणी में बदलाव नहीं किया जायेगा.

➢ उम्मीदवार जो अन्य पिछड़े वर्ग के हों लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आते हों उन्हें आरक्षण तथा आयु–सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे उम्मीदवार अपनी श्रेणी 'यूआर' अथवा 'यूआर (एलडी)' अथवा 'यूआर (एचआई)' अथवा 'यूआर (एचआई)' अथवा 'यूआर (डी और ई)' (जो भी लागू हो) के रूप में दर्शाएं.

➢ ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' के प्रस्तुतीकरण पर उठाया जा सकता है.

श्रेणी	कोड	श्रेणी	कोड	श्रेणी	कोड	श्रेणी	कोड	श्रेणी	कोड
अ.जा.	01	अ.ज.जा.	06	अ.पि.व.	11	यूआर	16	ईडब्ल्यूएस	21
अ.जा. (एलडी)	02	अ.ज.जा.(एलडी)	07	अ.पि.व. (एलडी)	12	यूआर (एलडी)	17	ईडब्ल्यूएस (एलडी)	22
अ.जा. (वीआई)	03	अ.ज.जा.(वीआई)	08	अ.पि.व. (वीआई)	13	यूआर (वीआई)	18	ईडब्ल्यूएस (वीआई)	23
अ.जा. (एचआई)	04	अ.ज.जा.(एचआई)	09	अ.पि.व. (एचआई)	14	यूआर (एचआई)	19	ईडब्ल्यूएस (एचआई)	24
अ.जा.(डी और ई)	05	अ.ज.जा.(डी और ई)	10	अ.पि.व. (डी और ई)	15	यूआर (डी और ई)	20	ईडब्ल्यूएस (डी और ई)	25

स्क्राइब और प्रतिपूरक समय का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देशः

क) लिखने वाले (स्क्राइब) की सुविधा ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी, जिसके पास **40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता है,** और उस व्यक्ति द्वारा यह सुविधा वांछित है और यह केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है, जो शारीरिक नि:शक्तता के कारण स्पीड के साथ नहीं लिख सकते हैं. ऐसे सभी मामलों में लिखने वाले (स्क्राइब) का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

i. परीक्षा में सेवाओं के लिए पात्र और उसका उपयोग करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसे सावधानीपूर्वक इंगित करना चाहिए. किसी भी बाद के अनुरोध पर अनुकूल ढंग से विचार नहीं किया जा सकता है.

ii. परीक्षा के समय उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों को निर्धारित प्रारूप में स्क्राइब और उम्मीदवार की पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ एक उपयुक्त वचन–पत्र देना होगा.

iii. ऐसे उम्मीदवार जो एक स्क्राइब के उपयोग के लिए पात्र हैं, परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, चाहे वे स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठा रहे हों, या नहीं.

iv. उम्मीदवार को अपने निजी खर्चे पर अपने निजी स्क्राइब का प्रबंध करना होगा.

v. उपरोक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन में स्क्राइब का उपयोग करने वाला कोई भी उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और यदि उसने बैंक में योगदान दिया है, तो उसे बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है.

vi. स्क्राइब का उपयोग करने वाले उम्मीदवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने के लिए पात्र है. ऐसा उम्मीदवार, जो ऊपर बताये गये दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करता है, को भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य कर दिया जायेगा. ऐसी किसी भी अन्य कार्रवाई के अलावा जो बैंक उम्मीदवार और स्क्राइब के विरुद्ध उचित समझे. उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले कोई भी उम्मीदवार अगर स्क्राइब का उपयोग कर रहा है, तो उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जायेगा और यदि उसने बैंक में योगदान दिया है, तो उसे बिना सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है.

vii. **परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर/हल स्वयं कर रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार के लिए परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा, और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा प्रशासक कार्मिकों द्वारा परीक्षा के बाद यह रिपोर्ट दी जाती है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है.**

viii. उम्मीदवार द्वारा व्यवस्था किया गया स्क्राइब उसी ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए. यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.

ix. लिखने वाले (स्क्राइब) का उपयोग करने की अनुमति भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय, दिव्यांग मामले विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन एफ नं.16-110/2003-DDIII दिनांक 26 फरवरी, 2013 के अनुसार जारी दिशा–निर्देशों और भारत सरकार, वित्त मत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग, के पत्र क्र. एफ नं. 3/2/2013- वेल्फेयर दिनांक 26.04.2013 के द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार दी जाएगी.

ख) इसके अलावा, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय ज्ञापन एफ. संख्या 29-6/2019-DD-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसार, स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय केवल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2(एस) के तहत शामिल किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं किए गए पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों (अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति) को दिया जाएगा. यह उक्त कार्यालय ज्ञापन के परिशिष्ट–I में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई है और उसकी ओर से स्क्राइब को परीक्षा लिखना आवश्यक है. यदि उम्मीदवार अपना स्वयं का स्क्राइब लाने का विकल्प चुनता है, तो स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर कम होना चाहिए. स्वयं के स्क्राइब का चयन करने वाले व्यक्ति को उक्त कार्यालय ज्ञापन के परिशिष्ट–II में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार स्वयं के स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए.

4. **चयन प्रक्रियाः** परिवीक्षाधीन अधिकारियों के चयन की प्रक्रिय तीन चरणों में होगी.

चरण- I : प्रारंभिक परीक्षाः प्रारंभिक परीक्षा जिसमें ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा 100 अंक की होगी. परीक्षा में निम्नानुसार 3 खण्ड होंगे (प्रत्येक खंडों के लिए अलग–अलग समय सहित).

क्र.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अंक	अवधि
1.	अंग्रेजी भाषा	40	**कुल अधिकतम अंक 100**	20 मिनट
2.	मात्रात्मक योग्यता	30		20 मिनट
3.	तर्कज्ञान क्षमता	30		20 मिनट
	कुल	**100**		**1 घंटा**

मुख्य परीक्षा के लिए चयन का मानदंडः प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. प्रारंभिक परीक्षा में कोई सेक्शनल कट–ऑफ नहीं होगा. मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की सूची, हर वर्ग में, मेरिट में ऊपर से कुल रिक्तियों की 10 गुना (लगभग) तैयार की जाएगी.

चरण–II: मुख्य परीक्षा: मुख्य परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जायेगी और उसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा 200 अंकों की और वर्णनात्मक परीक्षा 50 अंकों की होगी. वर्णनात्मक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा पूरी होने के तत्काल बाद आयोजित की जायेगी और उम्मीदवारों को वर्णनात्मक परीक्षा के उत्तर कंप्यूटर में टाइप करने होंगे.

(i) **वस्तुनिष्ठ परीक्षाः** वस्तुनिष्ठ परीक्षा की अवधि 3 घंटों की होगी और उसमें 200 अंकों के 4 खण्ड होंगे. वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक खण्ड के लिए अलग–अलग समय होगा.

क्र.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
I	तर्क और कंप्यूटर योग्यता	40	60	50 मिनट
II	डाटा विश्लेषण और विवेचन	30	60	45 मिनट
III	सामान्य जानकारी/अर्थव्यवस्था/बैंकिंग ज्ञान	60	60	45 मिनट
IV	अंग्रेजी भाषा	40	20	40 मिनट
	कुल	**170**	**200**	**3 घंटा**
(ii) **वर्णनात्मक पेपर**				
संचार कौशलः ईमेल, रिपोर्ट, स्थिति विश्लेषण और सारांश लेखन)		––	**50**	30 मिनट
कुल योग			**250**	

मुख्य परीक्षा में सेक्शनल कट–ऑफ/न्यूनतम अर्हता अंक:

❖ प्रत्येक उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा (यानी परीक्षा I, II, III, IV और वर्णनात्मक प्रशनपत्र में अलग–अलग रूप से) में न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा.

❖ उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर, कट–ऑफ तय की जाएगी और उम्मीदवारों को चरण III के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

चरण–III के लिए चयन का मानदंडः

चरण–II (मुख्य परीक्षा) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. चरण–III के लिए उम्मीदवारों की सूची वर्गवार में मेरिट में ऊपर से कुल रिक्तियों की 3 गुना (लगभग) तैयार की जाएगी, बशर्ते उम्मीदवार ने बैंक द्वारा **निर्णीत न्यूनतम कुल अंक** प्राप्त किए हों.

गलत उत्तरों के लिए दंड (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, दोनों के लिए लागू):

वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अंकित किए गए गलत उत्तरों के लिए दंड होगा. सही स्कोर को प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार द्वारा दिए गए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न के लिए निर्दिष्ट अंकों से एक चौथाई अंक दंड के तौर पर काटे जाएंगे. यदि प्रश्न को छोड़ दिया गया हो, अर्थात उम्मीदवार द्वारा किसी भी उत्तर को अंकित न किया गया हो, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा.

चरण–III में (क) साइकोमेट्रिक टेस्ट (ख) समूह अभ्यास और (ग) साक्षात्कार शामिल है.

(क) साइकोमेट्रिक टेस्ट: बैंक उन उम्मीदवारों के व्यक्तित्व प्रोफाइलिंग के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट आयोजित करेगा, जिन्हें चरण–III के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. उम्मीदवारों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखने के लिए परीक्षण के निष्कर्ष को साक्षात्कार पैनल के समक्ष रखा जा सकता है.

परीक्षण संरचना	(ख) समूह अभ्यास	(ग) साक्षात्कार	कुल
अधिकतम अंक	20	30	50

न्यूनतम अर्हता अंक बैंक द्वारा तय किए जाएंगे.

अंतिम चयन:

उम्मीदवारों को चरण–II और चरण–III, दोनों अलग अलग पास करना होगा. अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए मुख्य परीक्षा (चरण–II) की वस्तुनिष्ठ परीक्षा और वर्णानात्मक परीक्षा, दोनों में प्राप्त अंकों को चरण–III में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा. **चयन के लिए अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा (चरण–I) में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जायेगा.**

चरण–II (मुख्य परीक्षा, वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक परीक्षा दोनों) और चरण–III (समूह अभ्यास और साक्षात्कार) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 100 अंकों के लिए सामान्यीकृत किया जाएगा.

परीक्षण	मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) (वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक)	समूह अभ्यास और साक्षात्कार	कुल
अधिकतम अंक	250	50	300
सामान्यीकृत अंक	75	25	100

चरण–II और चरण–III के अंकों को परिवर्तित कर कुल (100 में से) अंकों से अंतिम मेरिट सूची बनाई जाती है. प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से चयन किया जाएगा.

परिणाम का प्रकाशन: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के परिणाम और अंतिम परिणाम बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे.

5. **परीक्षा केंद्र**

i. भारत में कई केंद्रों पर परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी. प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र की संभावित सूची **अनुलग्नक–I** के रूप में संलग्न है.

ii. **परीक्षा केंद्र/दिनांक/सत्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.**

iii. प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर, स्वयं फैसला करके, किसी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ और केंद्र शामिल करने के अधिकार को एसबीआई अपने पास सुरक्षित रखता है. किसी उम्मीदवार के लिए उसके द्वारा चुने गए केंद्र के बदले किसी अन्य केंद्र को निर्धारित करने का अधिकार भी एसबीआई के पास सुरक्षित है. **मुख्य परीक्षा के लिए केंद्र सीमित संख्या में होंगे.**

iv. परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर स्वयं की जोखिम और खर्च से आएंगे और उस दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान या चोट आदि के लिए एसबीआई जिम्मेदार नहीं होगा.

v. **परीक्षा कक्ष में उम्मीदवार द्वारा किए गए बुरे व्यवहार/दुर्व्यवहार के कारण उसकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है या एसबीआई द्वारा आयोजित भावी परीक्षाओं के लिए उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है.**

6. **प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉल लेटर:**

प्रारंभिक परीक्षा का कॉल लेटर परीक्षा स्थल पर एकत्र नहीं किया जाएगा. हालांकि, इसे परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित/मुहर लगाई जाएगी. उम्मीदवार को कॉल लेटर (पहचान प्रमाण की प्रमाणित/मुहर लगी कॉपी के साथ) को सुरक्षित रूप से बनाए रखने की जरूरत होगी. जिन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, उन्हें स्वयं को परिचित कराएं पुस्तिका और कॉल लेटर में दी गई जानकारी के अनुसार मुख्य परीक्षा कॉल लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक परीक्षा का प्रमाणिक मूल कॉल लेटर लाना अनिवार्य होगा. जिन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, उन्हें ''एक्वेंट योरसेल्फ पुस्तिका'' ("acquaint yourself booklet") और ''कॉल लेटर'' प्रदान की गई जानकारी के अनुसार विधिवत प्रमाणित मूल प्रारंभिक परीक्षा कॉल लेटर (आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति के साथ) और साथ ही मुख्य परीक्षा कॉल लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे.

i. हालांकि, प्रारंभिक परीक्षा के दौरान स्क्राइब फॉर्म (जहां भी लागू होगा) एकत्र किया जाएगा.

ii. **उम्मीदवारों को ''एक्वेंट योरसेल्फ पुस्तिका'' ("acquaint yourself booklet") और ''कॉल लेटर'' में दी गई जानकारी के अनुसार कॉल लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ दो अतिरिक्त फोटो (कॉल लेटर पर उम्मीदवार द्वारा चिपकाए गए फोटो के समान) लाने की आवश्यकता है. प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉल लेटर पर बिना फोटो चिपकाए और दो अतिरिक्त फोटो (कॉल लेटर पर चिपकाए गए के समान) के बिना रिपोर्टिंग करने वाले उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. (यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार उसी तस्वीर की 8 प्रतियां (लगभग) अपने पास रखें जो आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के समय अपलोड की गई थी क्योंकि इस चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी)**

7. **परिलब्धियाँ:**

वर्तमान में कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी स्केल–I को लागू वेतनमान ₹48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920 के अनुसार प्रारम्भिक मूल वेतन ₹48,480/- (4 अग्रिम वेतनवृद्धि के साथ) है. अधिकारी समय–समय पर लागू नियमों के अनुसार मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, भविष्य निधि, अंशदायी पेंशन फंड यानी एनपीएस, एलएफसी, चिकित्सा सुविधा, लीज रेंटल सुविधा आदि और अन्य भत्ते और अनुलाभों के लिए पात्र होंगे.

मुंबई केंद्र के शुरुआती वेतनमान पर अनुमानित सीटीसी 18.67 लाख रुपये है.

8. **प्रशिक्षण एवं कैरियर में वृद्धि:**

चयनित उम्मीदवारों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से बुनियादी बैंकिंग ज्ञान प्रदान किया जाएगा, जिसे वे कार्यग्रहण करने से पहले पूरा करेंगे. चयनित उम्मीदवारों को बैंक में **न्यूनतम 3 वर्ष की** सेवा पूरी करने हेतु उन्हें **₹2 लाख (दो लाख रुपए मात्र) का बॉंड भरना होगा.** यदि अधिकारी अपनी सेवा प्रारंभ से 3 वर्षों के पूर्व बैंक सेवा छोड़ता है तो बैंक इस बॉंड का अपने पक्ष में भुगतान करा लेगा.

बैंक ज्वाइन करते समय अधिकारियों का पदनाम 'परिवीक्षाधीन अधिकारी' होगा और उन्हें 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा. वे परिवीक्षा अवधि के दौरान बैंक की मौजूदा नीति के अनुसार सतत मूल्यांकन के अधीन होंगे. बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित न्यूनतम मानदंडों के अनुसार जो अधिकारी मूल्यांकन में पास हो जाएंगे, उन्हें बैंक सेवा में कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान–I (जेएमजीएस–I) में स्थाई कर लिया जाएगा.

यदि कोई अधिकारी न्यूनतम निर्धारित मानदंड पूरा नहीं कर पाता है तो बैंक नियमों के अनुसार उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है.

बैंक अपने अधिकारियों के कैरियर में संवृद्धि के लिए विदेश में पदस्थापना सहित उन्हें विकल्प के प्रचुर अवसर उपलब्ध कराता है. बैंक की पदोन्नति नीति इतनी आकर्षक है कि यह मेधावी और विशेष प्रतिभावान अधिकारियों को एक तर्कसंगत अवधि में शीर्ष प्रबंधन श्रेणी तक पहुँचा देती है.

9. आवेदन शुल्क और सूचना प्रभारः (वापस न करने योग्य):

यूआर/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये और एससी/एसटी/पीडब्ल्युबीडी उम्मीदवारों के लिए 'शून्य' होगी. एक बार अदा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी कारण से लौटाया नहीं जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है.

10. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणः

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार विभिंन्न केंद्रों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है. सभी पात्र उम्मीदवार जो परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण का विकल्प चुनते हैं और उसका लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें **ऑनलाइन आवेदन** में संबंधित कॉलम भरना चाहिए. प्रशिक्षण केंद्रों की निर्देशात्मक सूची **अनुलग्नक–I** के रूप में दी गई है.

बैंक प्रशिक्षण हेतु दर्शाए गए केन्द्रों में कुछ नए केन्द्र जोड़ सकता है या उनमे से कुछ को हटा भी सकता है. परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट से प्रशिक्षण के लिए अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना चाहिए. आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद, उम्मीदवारों को आवेदन के अंतिम प्रस्तुतीकरण से पहले उसे सावधानीपूर्वक जांचना चाहिए. इसके बाद किसी परिवर्तन/संपादन की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस चरण में पंजीकरण अनंतिम है.

11. अवसरों की संख्या:

श्रेणी	अधिकतम स्वीकार्य अवसरों की संख्या
यूआर/ईडब्ल्यूएस	4
यूआर (पीडब्ल्यूबीडी)/ईडब्ल्यूएस (पीडब्ल्यूबीडी) / अपिव / अपिव (पीडब्ल्यूबीडी)	7
अजा/अजा (पीडब्ल्यूबीडी)/अजजा/अजजा (पीडब्ल्यूबीडी)	कोई प्रतिबंध नहीं

जो उम्मीदवार अनुमत अवसरों की अधिकतम संख्या तक परीक्षा में बैठ चुके हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है. अवसरों की संख्या दिनांक 18.04.2010 को हुई परीक्षा से गिनी जाएगी. **प्रारंभिक परीक्षा में हाजिर होना कोई अवसर नहीं माना जाएगा. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने को एक अवसर के रूप में गिना जाएगा.** जिन वर्षों में केवल एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई है (अर्थात् कोई प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की गई है) इस परीक्षा में शामिल होने पर उसे एक अवसर माना जायेगा.

12. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवार **27.12.2024** से **16.01.2025** तक **केवल ऑनलाइन** आवेदन कर सकते हैं. किसी भी अन्य तरीके से किया गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा.

ऑनलाइन आवेदन के लिए पूर्वापेक्षा: उम्मीदवार के पास वैध ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसे परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रखना होगा. यह वास्तव में बैंक से ई–मेल/एसएमएस के द्वारा कोई संप्रेषण/ बुलावा पत्र/ सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा.

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिशानिर्देशः

उम्मीदवारों को बैंक की कैरियर वेबसाइट **https://bank.sbi/web/careers/current-openings** के माध्यम से अपना पंजीकरण स्वयं ऑनलाइन करना होगा. पंजीकरण के बाद उम्मीदवार को आवश्यक आवेदन शुल्क ऑनलाइन तरीके से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/यूपीआई से भरना होगा.

सहायता डेस्कः फार्म को भरने, फीस/सूचना प्रभार के भुगतान या प्रवेश कॉल लेटर की प्राप्ति के बारे में यदि कोई समस्या हो तो, फोन नं 022-22820427 पर (कामकाज के दिनों में सुबह 11.00 से शाम 6.00 के बीच) या **http://cgrs.ibps.in** पर अपना प्रश्न पूछा जा सकता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने ईमेल का विषय 'RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS IN STATE BANK OF INDIA-2024' लिखना न भूलें.

अ. पंजीयन और शुल्क (फीस) का भुगतान (केवल ऑनलाइन द्वारा):

i. अनुलग्नक–II में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार पहले फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र को स्कैन करें.

ii. हस्तलिखित घोषणा के लिए पाठ इस प्रकार है:

मैं,...(उम्मीदवार का नाम), जन्म तिथि..........................एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है. जब भी आवश्यक होगा, मैं सहायक दस्तावेज पेश करूंगा/करूंगी. हस्ताक्षर, फोटोग्राफ और बाएं अंगूठे का निशान मेरा है.

iii. **बाएं अंगूठे का निशान:** यदि किसी उम्मीदवार के पास बायां अंगूठा नहीं है तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है.

iv. उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi/web/careers/current-openings** देखें और करंट ओपनिंग पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन–प्रारूप को खोलें.

v. आवेदन–पत्र सावधानी से भरें. आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के बाद उम्मीदवार डाटा प्रस्तुत करें. प्रथम कोशिश में यदि उम्मीदवार डाटा पूर्णतः नही भर सकते हैं, तो पहले प्रविष्ट डाटा को सेव कर सकते हैं. पूर्ण/आंशिक रूप से पूर्ण आवेदन को सेव करने पर प्रणाली द्वारा एक अनन्तिम पंजीयन संख्या और पासवर्ड तैयार होगा और वह स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसे भलीभांति नोट किया जाना चाहिए. उम्मीदवार अपने पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग कर अपने सेव किये गये आवेदन फॉर्म को पुनः खोल एवं संशोधित (यदि आवश्यक हो) कर सकते हैं. आवेदन–पत्र को एक बार पूर्णतः भरने पर अंतिम प्रस्तुति से पहले उम्मीदवार फॉर्म को भलीभांति जांच लें. इसके बाद कोई बदलाव/संशोधन की अनुमति नहीं हैं. इस स्तर पर पंजीकरण अनन्तिम है.

vi. आवेदन–पत्र में भरे विवरण सही हैं, यह पुनः जांच करने और सुनिश्चित करने के बाद आवेदन को स्क्रीन पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार आवेदन–पत्र के साथ समन्वित पेमेंट गेट वे के माध्यम से भुगतान करना होगा.

vii. भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/यूपीआई से स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी प्रस्तुत करने के बाद किया जा सकता है. ऑन लाइन भुगतान के लिए यदि कोई लेनदेन शुल्क हो, तो वह उम्मीदवार को अदा करना होगा.

viii. सफलतापूर्वक भुगतान पूर्ण होने पर, ई–रसीद एवं आवेदन पत्र तैयार होगा, जिसका प्रिंटआउट आवेदक अपने रिकार्ड हेतु ले लें.

ix. यदि ऑन लाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होता है, तो कृपया पुनः पंजीकरण करें. आवेदक ऑनलाइन लिंक पर जाएं और अपना आवेदन विवरण पुनः भरकर ऑनलाइन भुगतान करें.

x. ई–रसीद एवं फीस विवरण सहित आवेदन पत्र फिर से प्रिन्ट करने की सुविधा बाद में उपलब्ध होगी.

xi. **कृपया आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट बैंक को न भेजें.**

ब. फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान और हस्तलिखित घोषणा को स्कैन करने के लिए दिशानिर्देश:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को निम्न निर्देशित विशेष विवरण के अनुसार अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान एवं हस्तलिखित घोषणा की स्कैन्ड (डिजिटल) इमेज **अनुलग्नक-II** के अनुसार बनानी होगी. उम्मीदवारों द्वारा यथा निर्दिष्ट फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान एवं हस्तलिखित घोषणा अपलोड किए बगैर ऑनलाइन आवेदन का पंजीयन नहीं होगा. ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक उम्मीदवार निर्दिष्ट रूप में फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड नहीं करते.

नोटः यदि फोटोग्राफ में चेहरा या हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे के निशान या हस्तलिखित घोषणा अस्पष्ट है, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है. इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि यदि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र स्पष्ट नहीं है, तो उम्मीदवार फॉर्म जमा करने से पहले अपने आवेदन को संपादित कर सकता है और अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र को फिर से अपलोड कर सकता है.

13. कॉल लेटर्स डाउनलोड करें:

उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड/जन्म दिनांक की प्रविष्टि करके कॉल लेटर (पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण/प्रारंभिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा/साइकोमेट्रिक टेस्ट/जीई और साक्षात्कार) और ''एक्वेंट योरसेल्फ पुस्तिका'' ("acquaint yourself booklet") डाउनलोड करें. **कॉल लेटर/एक्वेंट योरसेल्फ पुस्तिका ("acquaint yourself booklet") की कोई भी हार्ड कॉपी डाक द्वारा नहीं भेजी जाएगी.**

ध्यान दें: मुख्य परीक्षा के समय, उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के समय विधिवत आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रमाणित मूल प्रारंभिक परीक्षा कॉल लेटर (आईडी प्रूफ की प्रमाणित कॉपी के साथ) और साथ ही मुख्य परीक्षा कॉल लेटर लाना होगा. आवश्यक दस्तावेजों के साथ इन दस्तावेजों को मुख्य परीक्षा के दौरान प्रस्तुत करना होगा.

14. पहचान-पत्र की पुष्टि परीक्षा के समय प्रस्तुत करनी होगी:

उम्मीदवार अपने साथ एक मूल फोटो पहचान प्रमाण जैसे **पासपोर्ट/आधार/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता कार्ड/विधिवत साक्ष्यांकित फोटो वाली बैंक पासबुक**/स्कूल या कॉलेज/ राजपत्रित अधिकारी द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर जारी फोटो पहचान पत्र और उसकी स्वयं साक्ष्यांकित फोटोकापी भी लेकर आएं. पहचान-प्रमाण की फोटो कॉपी कॉल लेटर के साथ परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक को देनी होगी, ऐसा न करने पर उम्मीदवार की पहचान पर संदेह होने पर उस उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

15. बायोमेट्रिक सत्यापनः

बैंक विभिन्न स्तरों पर उम्मीदवारों के अंगूठे के निशान/आईआरएस स्कॅन डिजिटल प्रारूप मे ले सकता है, ताकि उम्मीदवार की प्रामाणिकता सत्यापित हो सके. किसी उम्मीदवार के नकली होने की बात सामने आने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उसकी उम्मीदवारी को भी रद्द कर दिया जाएगा. तद्नुसार, उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे उनके बुलावा पत्र में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करें. यदि कोई भी उम्मीदवार असली नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा, उसकी/उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. **इसके अलावा, उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि वह अपने हाथों पर कोई बाहरी पदार्थ जैसे मेंहदी, स्याही, रसायन आदि न लगाएं.**

16. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई:

क. उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि ऐसा कोई विवरण न दें/संलग्न न करें जो असत्य, जाली/बनावटी हो या आवेदनपत्र भरते समय किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को न छिपाएँ.

ख. यदि लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय कोई उम्मीदवार निम्नलिखित बातों का दोषी पाया जाता है: (i) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करना या (ii) छद्म व्यक्ति बनकर छद्म व्यक्ति द्वारा परीक्षा देना या (iii) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना या (iv) उम्मीदवार के रूप में अपने चयन हेतु किसी अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लेना या (v) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनुचित साधन की सहायता लेना, तो ऐसे उम्मीदवार के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही तो होगी ही, साथ ही:

- जिस परीक्षा में भाग ले रहे होंगे, उसमें उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा.
- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित भर्ती के लिए किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या किसी निश्चित अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा.

ग. बैंक उम्मीदवार के जवाबों का परीक्षा में शामिल अन्य उम्मीदवारों के जवाबों के साथ समानता ढूंढ़ने के लिए विश्लेषण करता है. इस विश्लेषण के आधार पर यदि यह पाया गया कि जवाब एक जैसे हैं, और प्राप्त अंक यथार्थ/वैध नहीं है, तो बैंक के पास उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है.

घ. उम्मीदवारों को मोबाइल फोन, कैलक्यूलेटर या ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है.

i. जहां परीक्षा आयोजित की गयी है, उस परिसर के अंदर किसी भी मोबाइल फोन (यहां तक कि बंद मोड में भी), पेजर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉन संचार उपकरण या स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट घड़ियां या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या किसी अन्य स्टोरेज डिवाइस या संबंधित सहायक उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जहां परीक्षा/साक्षात्कार/ समूह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है. इन सूचनाओं का पालन न करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और भविष्यकालीन परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति न मिलने के साथ-साथ उन पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी.

ii. उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा/साक्षात्कार के स्थान पर पेजर/कैलकुलेटर सहित कोई भी मूल्यवान/महंगी वस्तुएँ/निषिद्ध वस्तु न लाएं, क्योंकि उनके सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है.

iii. उम्मीदवारों को परीक्षा परिसर में कैलक्यूलेटर लाने या उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है.

17. घोषणाएं:

इस प्रक्रिया से जुड़ी सभी भावी घोषणाएँ/ सूचनाएँ समय-समय पर केवल एसबीआई की अधिकृत वेबसाइट **https://bank.sbi/web/careers/current-openings** पर ही प्रकाशित/ उपलब्ध कराई जाएगी. इस संबंध में कोई अलग से विज्ञापन/ शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जाएगा. सभी परिवर्तन/ अपडेट/ शुद्धिपत्र केवल बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi/web/careers/current-openings** पर ही होस्ट किए जाएंगे.

18. डिसक्लेमर:

भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर इस बात का पता चलने पर कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है और या उसने कोई गलत जानकारी दी है या किसी महत्त्वपूर्ण बात को छिपाया है, तो उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा. यदि इनमें से कोई बात नियुक्ति के बाद उजागर हो, तब भी उस उम्मीदवार की नौकरी रद्द की जा सकती है. पात्रता, लिखित परीक्षा, अन्य परीक्षाओं का आयोजन और चयन आदि मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और वह सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी रहेगा. इस बारे में किसी भी अभ्यावेदन या पत्राचार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा.

मुंबई
दिनांक: 27.12.2024

प्रिंटिंग में यदि कोई त्रुटि हो, तो बैंक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी में जारी विस्तृत विज्ञापन की शर्तें मान्य होंगी.

महाप्रबंधक
(आरपी एंव पीएम)

परीक्षा केंद्र (अनन्तिम सूची)

राज्य कोड	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र/प्रारंभिक परीक्षा केंद्र	मुख्य परीक्षा केंद्र
11	अण्डमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर
12	आंध्र प्रदेश	चिराला, चितूर, एलुरु, गुंटुर, कड़प्पा, काकीनाडा, करनूल, नेल्लोर, ओंगोले, राजमुंद्री, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विजयवाडा, विशाखपट्नम, विजयनगरम	गुंटुर, कुर्नुल, विजयवाडा, विशाखापट्नम
13	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगुन	नाहरलगुन
14	असम	डिबरूगढ़, गुवाहाटी, जोराहट, सिलचर, तेजपुर	गुवाहाटी
15	बिहार	आरा, औरंगाबाद (बिहार), भागलपुर, दरभंगा, गया, मुज़फ्फरपुर, पटना, पुर्णिया	आरा, पटना, मुज़फ्फरपुर
16	चंडीगढ़	चंडीगढ़/मोहाली	चंडीगढ़/मोहाली
17	छत्तीसगढ़	भिलाई, बिलासपुर, रायपुर	रायपुर
18	गोवा	पणजी	पणजी
19	गुजरात	अहमदाबाद/गांधीनगर, आणंद, हिम्मतनगर, जामनगर,	अहमदाबाद/गांधीनगर
20	हरियाणा	अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम	अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम
21	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुलू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना	शिमला, सोलन
22	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, सांबा, श्रीनगर	जम्मू, श्रीनगर
23	झारखंड	बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची	जमशेदपुर, रांची
24	कर्नाटक	बेलगाम, बेंगलुरू, बिदर, दावांगेरे, धारवाड, गुलबर्गा, हासन, हुबली, मंड्या, मंगलोर, मैसूर, शिमोगा, उडुप्पी	बेंगलुरू
25	केरल	आलप्पुला, कन्नूर, कोचि, कोल्लम, कोट्टायम, कोलिकोड़	कोच्चि, तिरुवनंतपुरम
26	लदाख	लेह	लेह
27	लक्षद्वीप	कवराती	कवराती
28	मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन	भोपाल, इंदौर
29	महाराष्ट्र	अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद-महाराष्ट्र), चंद्रपुर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई, नागपुर, नांदेड, नासिक, पुणे, रत्नागिरी, सोलापुर	औरंगाबाद, नागपुर, पुणे, मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई
30	मणिपुर	इम्फाल	इम्फाल
31	मेघालय	शिलांग	शिलांग
32	मिज़ोरम	आइजोल	आइजोल
33	नागालैंड	कोहिमा	कोहिमा
34	दिल्ली - एनसीआर	दिल्ली और नई दिल्ली (सभी एनसीआर शहर)	दिल्ली और नई दिल्ली
35	ओडिशा	बालासोर, बरहमपुर (गंजम), भुवनेश्वर, कटक, धेनकानाल, राऊरकेला, संबलपुर	भुवनेश्वर
36	पुदुचेरी	पुदुचेरी	पुदुचेरी
37	पंजाब	अमृतसर, भटिण्डा, फतेगढ़साहिब, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, संगरुर	भटिण्डा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला
38	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर	जयपुर
39	सिक्किम	बर्दांग - गंगटोक	बर्दांग - गंगटोक
40	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयम्बतूर, ईरोड, मुदुरै, नागरकोईल, सेलम, तंजावूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर, विरुदुनगर	चेन्नई, मुदुरै, तिरुनेलवेली
41	तेलंगाना	हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, वारंगल	हैदराबाद
42	त्रिपुरा	अगरतला	अगरतला
43	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज (इलाहाबाद), बरेली, बांदा, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, सीतापुर, वाराणसी	आगरा, प्रयागराज (इलाहाबाद), गाजियाबाद, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी
44	उत्तराखंड	देहरादून, हल्दवानी, रुड़की	देहरादून
45	पश्चिम बंगाल	आसनसोल, दुर्गापुर, हुगली, कल्याणी, कोलकाता, सिलिगुड़ी	हुगली, कल्याणी, कोलकाता

फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा की स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार अपने फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा की स्कैन (डिजिटल) इमेज रखना आवश्य होगा.

क. हस्तलिखित घोषणा के लिए पाठ इस प्रकार है:
मैं,..(उम्मीदवार का नाम), जन्म तिथि................................एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है. जब भी आवश्यक होगा, मैं सहायक दस्तावेज पेश करूंगा/करूंगी. हस्ताक्षर, फोटोग्राफ और बाएं अंगूठे का निशान मेरा है.

ख. **बाएं अंगूठे का निशान:** यदि किसी उम्मीदवार के पास बायां अंगूठा नहीं है तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है.

फोटोग्राफ (4.5cm × 3.5cm):

- फोटोग्राफ अद्यतन, पासपोर्ट साइज और रंगीन होना चाहिए
- पिक्चर रंगीन होनी चाहिए और वह सफेद या फीकी रंगीन पृष्ठभूमि पर होनी चाहिए.
- स्वस्थ चित्त होकर कैमरे की ओर सीधे देखें.
- यदि फोटो सूर्यप्रकाश में ली जाएं तो सूरज आपके पीछे हो या आप छाया में खड़े हों, जिससे आपका फोटो साफ आए.
- अगर आपको फ्लैश का उपयोग करना पड़े तो 'रेड आई' न हो.
- अगर आप चश्मे का उपयोग करते हैं, तो आपकी आँखे साफ नजर आने के लिए चश्मे पर प्रतिबिंब न हो.
- टोपियाँ, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है. धार्मिक परंपरा के अनुसार पगड़ी स्वीकार्य है, पर उससे आपका चेहरा ढकना नहीं चाहिए.
- आयाम 200 x 230 पिक्सैल (वरीयतः)
- फाइल का साइज 20 केबी–50 केबी के दरम्यान हो.
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की हुई फोटो की साइज 50 केबी से अधिक न हो. उसके बाद स्कैनर का सेटिंग समायोजित इस तरह करें कि डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि स्कैनिंग के समय ठीक हो.
- **यह सूचना दी जाती है कि उम्मीदवार उसी ही फोटो की लगभग 8 प्रतियां रखें जो आवेदन के समय अपलोड किया जाता है क्योंकि चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी.**

हस्ताक्षरः

- उम्मीदवार सफेद कागज पर काले स्याही के पेन से हस्ताक्षर करें.
- हस्ताक्षर केवल उम्मीदवार का हो, और किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर न हो.
- हस्ताक्षर का उपयोग कॉल लेटर पर या अन्यत्र जहाँ जरूरी हो, किया जाएगा
- **परीक्षा के समय यदि उत्तर पुस्तिका (स्क्रिप्ट) पर किए हुए उम्मीदवार के हस्ताक्षर कॉल लेटर के हस्ताक्षर से नहीं मिलते, तो आवेदक को अपात्र समझा जाएगा.**
- आयाम 140 x 60 पिक्सेल (वरीयतः)
- फाइल की साइज 10 केबी–20 केबी हो
- सुनिश्चित करें कि स्कैन किए हुए हस्ताक्षर का आकार 20 केबी से अधिक न हो.
- **कैपिटल अक्षरों में किया गया हस्ताक्षर स्वीकृत नहीं होगा.**

बाएं हाथ के अंगूठे का निशान:

- आवेदक को एक सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से **अपने बाएं अंगूठे का निशान** लगाना होता है.
- **फाइल प्रकार:** जेपीजी/जेपीईजी
- **आयाम:** 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए) यानी 3cm × 3cm (चौड़ाई X ऊंचाई).
- **फाइल का आकार :** 20 केबी – 50 केबी

हस्तलिखित घोषणा:

- आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही से **अंग्रेजी में घोषणा** स्पष्ट रूप से लिखनी होगी.
- **फाइल प्रकार:** जेपीजी/जेपीईजी
- **आयाम:** 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए) यानी 10cm × 5cm (चौड़ाई X ऊंचाई).
- **फाइल का आकार :** 50 केबी – 100 केबी
- **अंग्रजी के बड़े अक्षरों में हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी.**

ध्यान दें:

(i) सुनिश्चित करें कि फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर अपलोड की गई हो.

(ii) फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा केवल आवेदक की होनी चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा.

(iii) यदि परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक या बुलावा पत्र पर आवेदक का फोटो और हस्ताक्षर आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के समय अपलोड किए गए फोटो और हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता है, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा की स्कैनिंग:

- स्कैन का रिजोल्यूशन न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉटस् प्रति इंच) सेट करें.
- असली कलर सेटिंग करें और फाइल साइज, जैसा ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है.
- फोटो/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा के किनारे तक स्कैनर में छवि को क्रॉप करें और उसके बाद अंतिम आकार (जैसाकि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है) तक छवि का क्रॉप करने के लिए अपलोड संपादक का उपयोग करें.
- इमेज की फाइल जेपीजी या जेपीईजी फारमैट में हो. उदाहरण के लिए फाइल का नाम 'image01.jpg' अथवा 'image01.jpeg'. इमेज के आयाम की जांच फोल्डर फाइल का लिस्टिंग करके या माऊस को फाइल इमेज आईकॉन की ओर घुमाकर की जा सकती है.
- एमएस विंडोज/ एमएस ऑफिस का उपयोग करने वाले उम्मीदवार एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके आवश्यक आकार से अनधिक रूप में दस्तावेजों को ".jpeg' प्रारूप में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. स्कैन किए गए फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा को किसी भी प्रारूप में फाइल मेनू में "Save As" विकल्प का उपयोग करके '.jpg' प्रारूप में सहेजा जा सकता है और आकार को crop and then resize विकल्प का उपयोग करके समायोजित किया जा सकता है.
- यदि फाइल साइज एवं फारमैट निर्धारित मानदंड के अनुसार नहीं है, तो तुटि संदेश (error) नजर आएगा.
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को अपने फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे.

फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने की कार्य प्रणाली:

- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र को अपलोड करने के लिए अलग–अलग लिंक होंगे.
- संबंधित लिंक "Upload Photograph, Signature, Left-Hand Thumb Impression & Hand-Written Declaration" पर क्लिक करें.
- उस स्थान को ब्राउज़ करें और चुनें जहां स्कैन किए गए फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा फ़ाइल को सहेजा गया है.
- क्लिक से फाइल सिलेक्ट करें.
- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें.
- फ़ाइल का आकार और फॉर्मेट निर्धारित रूप में न होने पर एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा.
- अपलोड की गई छवि का प्रीव्यू छवि की गुणवत्ता को देखने में मदद करेगा. अस्पष्ट/धब्बे के मामले में, इससे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता लाकर फिर से अपलोड किया जा सकता है.

जब तक आप अपना फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और निर्दिष्ट रूप में हस्तलिखित घोषणा अपलोड नहीं करते हैं, तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं होगा.

नोटः

1) यदि फोटो में चेहरा, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र स्पष्ट नहीं है, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र को अपलोड करने के बाद, उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि छवियां स्पष्ट हैं और सही तरीके से अपलोड की गई हैं. यदि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो उम्मीदवार फॉर्म प्रस्तुत करने से पहले अपने आवेदन को संपादित कर सकता है और अपने फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र को फिर से अपलोड कर सकता है.

2) ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के बाद, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम से जनरेट हुए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लें.

3) **उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करें कि फोटो के स्थान पर फोटो, हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान के स्थान पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र के स्थान पर हस्तलिखित घोषणापत्र अपलोड किया जाता है. यदि फोटो के स्थान पर फोटो, हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर बाएं हाथ के अंगूठे के निशान के स्थान पर बाएं हाथ के अंगूठे के निशान और हस्तलिखित घोषणापत्र के स्थान पर हस्तलिखित घोषणापत्र को ठीक से अपलोड नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.**

आवेदन कैसे करें

https://bank.sbi/web/careers/current-openings पर लॉगिन करें.

↓

नीचे स्क्रॉल करें और **विज्ञापन सं. CRPD/CR/2024-25/22** पर क्लिक करें

↓

विज्ञापन डाउनलोड करें

(विस्तृत विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ें)

↓

ऑनलाइन आवेदन करें

(अंतिम प्रस्तुतीकरण से पहले, कृपया अपना आवेदन अच्छी तरह पढ़ लें.

अंतिम प्रस्तुतीकरण के बाद उसमें सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी)